भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 907

जिसका उत्तर 24.07.2025 को दिया जाना है

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

907. श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों, विशेषकर राजकोट और हिम्मतनगर बाईपास परियोजनाओं के विकास की वर्तमान स्थिति क्या है और उनके पूरा होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है और कुल कितना बजट आवंटित किया गया है;

(ख) अहमदाबाद-राजकोट छह-लेन राजमार्ग परियोजना में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और उन खंडों का ब्यौरा क्या है जो पूरे हो चुके हैं या अभी भी लंबित हैं;

(ग) गुजरात में भारी बारिश के कारण बह गई सड़कों की तत्काल मरम्मत के लिए क्या कार्यनीति है तथा संपर्क बहाल करने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) राजकोट और हिम्मतनगर बाईपास परियोजनाओं सहित गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है। अब तक, गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार और विकास के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत 55,614 करोड़ रुपये की लागत वाली 69 परियोजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें वित्तीय वर्ष 2029-30 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य है।

राजकोट बाईपास एनएच-27 के जेतपुर-गोंडल-राजकोट खंड को छह लेन का बनाने की चल रही परियोजना का हिस्सा है, जिसकी संशोधित निर्धारित पूर्णता तिथि 26.09.2025 है। अभी तक, हिम्मतनगर बाईपास के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए चालू वर्ष सहित आवंटित बजट और किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	आवंटन (करोड़ रुपये में)	व्यय (करोड़ रुपये में)
2023-24	10,900	10,900
2024-25	8,262	8,091
2025-26 (30.06.2025 तक)	2,346	2,163

(ख) गुजरात सरकार ने अहमदाबाद-राजकोट छह-लेन राजमार्ग का विकास कार्य अपने हाथ में ले लिया है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विवरण इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	खंड	लंबाई (किमी में)	अनुबंध की राशि (करोड़ रुपये में)	टिप्पणी
1	अहमदाबाद से बगोदरा	40,000	467.10	मुख्य कैरिजवे का निर्माण पूरा हो गया है। सर्विस रोड का निर्माण कार्यान्वयनाधीन है।
2	बागोदरा से लिम्बडी	43.000	396.00	मुख्य कैरिजवे का निर्माण पूरा हो गया है। सर्विस रोड का निर्माण कार्यान्वयनाधीन है।
3	लिम्बडी - सायला	38.950	467.10	मुख्य कैरिजवे का निर्माण पूरा हो गया है। सर्विस रोड और जंक्शन सुधार का विविध कार्य कार्यान्वयनाधीन है।
4	सायला - बामनबोर	37.622	396.00	37 किमी का कार्य पूरा हो चुका है। शेष 2 छोटे पुलों का कार्य निर्माणाधीन है।
5	राजकोट - बामनबोर	30.586	416.76	28.375 किमी का कार्य पूरा हो चुका है। शेष हैडारियो बड़ा पुल, कुवाडवा फ्लाईओवर और टोल प्लाजा का कार्य निर्माणाधीन है।

(ग) सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के रखरखाव को प्राथमिकता दी है और अन्य बातों के साथ-साथ भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत सहित उत्तरदायी रखरखाव एजेंसी के माध्यम से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के रखरखाव और मरम्मत (एमएंडआर) को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है।

एनएच विकास परियोजनाएं मुख्य रूप से तीन मोड पर क्रियान्वित की जाती हैं अर्थात् (i) निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी), (ii) हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) और (iii) इंजीनियरिंग प्रापण और निर्माण (ईपीसी)। निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) पर परियोजनाओं के लिए रखरखाव सहित रियायत अवधि 15 से 20 वर्ष है और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) पर सामान्य तौर पर 15 वर्ष है। ईपीसी परियोजनाओं के मामले में, बिटुमिनस फुटपाथ कार्यों के लिए दोष देयता अवधि (डीएलपी) 5 वर्ष और कंक्रीट फुटपाथ कार्यों के लिए 10 वर्ष है। टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) और इनविट (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) परियोजनाओं के लिए रखरखाव सहित रियायत अवधि 20 से 30 वर्ष है। परिचालन, रखरखाव और हस्तांतरण (ओएमटी) परियोजनाओं के लिए रियायत अवधि सामान्यतः 9 वर्ष है। संविदाकार/रियायतग्राही परियोजना की संविदा/रियायत अवधि के भीतर संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों के शेष सभी खंडों के लिए, जहाँ डीएलपी समाप्त हो चुका है या बीओटी/एचएएम/टीओटी/ इनविट परियोजना की किसी रियायत अवधि के अंतर्गत नहीं है, सरकार ने निष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) या अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) के

माध्यम से रखरखाव कार्य करने का नीतिगत निर्णय लिया है। एसटीएमसी कार्य सामान्यतः 1-2 वर्ष की अनुबंध अवधि के लिए किए जाते हैं, जबकि पीबीएमसी कार्य लगभग 5-7 वर्ष की अनुबंध अवधि के लिए किए जाते हैं।

(घ) परियोजनाओं की प्रगति की निरंतर निगरानी उन्नत डिजिटल प्लेटफार्मों जैसे परियोजना निगरानी सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) और डेटा लेक, भूमि राशि पोर्टल (भूमि अधिग्रहण के लिए) के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त, लंबित संविदात्मक मुद्दों को सुलझाने और परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निष्पादन एजेंसियों के अधिकारियों सहित सभी हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर आवधिक समीक्षा की जाती है।

*****